कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. - 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेंल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 443/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 23.11.2026

थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़

RRB ग्रुप-डी में नौकरी दिलाने के नाम पर 05 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार

◆ ***थाना अतरौलिया पुलिस द्वारा RRB ग्रुप-डी में नौकरी दिलाने के नाम पर 05 लाख रुपये लेने एवं फर्जी नियुक्ति पत्र तैयार कर देने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।***

◆ ***नौकरी न मिलने पर रुपये वापस मांगने पर वादी को गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप।***

गिरफ्तारी का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 23.11.2026 को उ0नि0 संजय सिंह एवं उ0नि0 सुरेन्द्र कुमार मय पुलिस टीम द्वारा वांछित अभियुक्तों की तलाश की जा रही थी। इसी दौरान प्राप्त सूचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त अमरेज कुमार पुत्र खेतऊ निवासी गजेन्धरपट्टी भेदौरा, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 52 वर्ष को कस्बा अतरौलिया स्थित सम्मो माता मंदिर के पास से समय करीब 08:45 बजे गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 20.11.2026 को वादी सौरभ सिंह पुत्र अनिल सिंह निवासी बरबोझी, थाना मोहम्मदाबाद गोहना, जनपद मऊ, हाल पता देवखरी, थाना कंधरापुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना अतरौलिया पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि विपक्षीगण द्वारा RRB ग्रुप-डी में नौकरी दिलाने के नाम पर उनसे 05 लाख रुपये लिए गए तथा सहवादी अमरजीत सिंह पुत्र स्व0 राजबहादुर सिंह निवासी जमीन हरखोरी घनछुला, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़ को कूटरचित फर्जी नियुक्ति पत्र बनाकर दिया गया। नौकरी न मिलने पर रुपये वापस मांगने पर आरोपियों द्वारा आनाकानी करते हुए गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी दी गई। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना अतरौलिया पर मु0अ0सं0 413/26 धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 352, 351(3) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. अमरेज कुमार पुत्र खेतऊ निवासी गजेन्धरपट्टी भेदौरा, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 52 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 413/26 धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 352, 351(3) बीएनएस, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 संजय सिंह, उ0नि0 सुरेन्द्र कुमार, का0 रमेश कुमार एवं का0 अमन तिवारी, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय भेजा गया।

थाना बरदह, जनपद आजमगढ़

साइबर फ्रॉड के शिकार व्यक्ति के खाते में थाना बरदह पुलिस ने वापस कराए ₹20,000/-

घटना का विवरण-

दिनांक 09.06.2026 को रामध्यान पुत्र नगीना निवासी बिजौली, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ का मोबाइल फोन हैक कर साइबर धोखाधड़ी के माध्यम से ₹20,000/- की धनराशि निकाल ली गई थी। इस संबंध में पीड़ित द्वारा दिनांक 09.06.2026 को एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत संख्या 33106260132299 पंजीकृत कराई गई थी।

पुलिस की कार्यवाही-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में साइबर अपराधों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना बरदह की साइबर डेस्क द्वारा शिकायत पर त्वरित कार्यवाही करते हुए मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल के माध्यम से साइबर फ्रॉड की संपूर्ण धनराशि ₹20,000/- पीड़ित को वापस कराई गई। अपनी धनराशि वापस पाकर पीड़ित रामध्यान जायसवाल की पत्नी माधुरी देवी ने थाना बरदह पुलिस की त्वरित कार्यवाही एवं सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।